

# समाहरणालय, चतरा।

(राजस्व शाखा)

“आदेश”

चतरा जिलान्तर्गत अंचल हंटरगंज के ग्राम-बोड़ा में ग्रीड सब स्टेशन निर्माण हेतु कार्यालय पत्रांक-529/रा0 एवं 530/रा0, दिनांक-22.06.2019 के द्वारा निम्नांकित भूमि चिन्हित कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया है:-

| क्र0 | अंचल    | मौजा  | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | कुल रकवा (एकड़ में) | भूमि का किस्म     |
|------|---------|-------|----------|----------|-----------|---------------------|-------------------|
| 1    | 2       | 3     | 4        | 5        | 6         | 7                   | 8                 |
| 1    | हंटरगंज | बोड़ा | 133      | 85       | 40        | 10.00               | गैरमजरूआ खास जंगल |

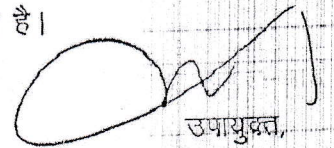
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के कंडिका 2.4 (i) (पृष्ठ-46) पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दिये गये निदेश “जंगल-झाड़ी प्रकृति” की भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु उपलब्ध कराये जाने पर अपयोजित होने वाले वन भूमि के दो गुणा (Two times) उपलब्ध कराना होगा, के आलोक में उक्त अपयोजित 10.00 एकड़ गैरमजरूआ खास जंगल भूमि के दो गुणा 20.00 एकड़ गैर वन भूमि क्षतिपूरक वनरोपण हेतु अंचल हंटरगंज में कार्यालय पत्रांक-744/रा0 दिनांक-25.04.2022 के द्वारा उपलब्ध करायी गई है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:-

| क्र0 | अंचल    | मौजा          | थाना नं0 | खाता नं0 | प्लॉट नं0 | कुल रकवा (एकड़ में) | भूमि का किस्म           |
|------|---------|---------------|----------|----------|-----------|---------------------|-------------------------|
| 1    | 2       | 3             | 4        | 5        | 6         | 7                   | 8                       |
| 1    | हंटरगंज | केवला         | 272      | 01       | 126       | 5.70                | गैरमजरूआ खास जंगल-झाड़ी |
| 2    |         | नावाडीह पनारी | 20       | 57       | 567       | 14.30               |                         |
| कुल  |         |               |          |          |           | 20.00               |                         |

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल के पत्रांक-1238 दिनांक-19.07.2022 के द्वारा अंचल हंटरगंज में क्षतिपूरक वन रोपण हेतु उपरोक्त उपलब्ध करायी गई भूमि कुल-20.00 एकड़ का अतिक्रमण मुक्त प्रमाण-पत्र (Encumbrance Free Certificate) उपलब्ध कराने का अनुरोध पत्र के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक-1322/रा0 दिनांक-06.08.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, हंटरगंज से अतिक्रमणमुक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का दिये गये निदेश पर अंचल अधिकारी, हंटरगंज के पत्रांक-735 दिनांक-08.08.2022 के द्वारा प्रतिवेदित है कि “वन विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मी एवं संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक, अंचल अमीन एवं स्वयं की उपस्थिति में उपरोक्त वर्णित भूमि का सीमाकांन कराते हुए अतिक्रमण मुक्त की गई है।”

उक्त के आलोक में उपरोक्त प्रस्तावित गैर वन भूमि 20.00 एकड़ अतिक्रमण से मुक्त है एवं वनरोपण हेतु उपयुक्त है।

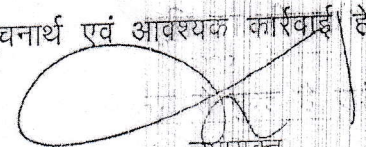
अतः उक्त भूमि को क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित किया जाता है।

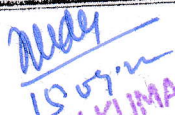
  
उपायुक्त,  
चतरा।

प्रतिलिपि:-  
ज्ञापांक.....1435...../रा0

दिनांक...30.08.2022

प्रबंधक, झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड, संचरण अवर प्रमण्डल, चतरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
अंचल अधिकारी, हंटरगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित।  
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
उपायुक्त,  
चतरा।

  
GAURAV KUMAR SINGH  
Senior Manager  
Transmission Division Hazaribagh